भारत जीवन बीमा निगम बनाम म्यूनिसिपल परिषद, राजपुरा और अन्य (सुवीर सहगल, जे.)

जी. एस॰ संधवालिया जे. के समक्ष

मिल्खा सिंह. याचिकाकर्ता (ओ.)

बनाम

उप रजिस्ट्रार, **सहकारी समितियाँ, हिसार**

और अन्य.प्रतिवादी (ओं)

2018 का सीडब्ल्यूपी No.37707

21 जनवरी, 2020

भारत का संविधानए 1950.**अनुच्छेद** 226.**हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम,** 1894-S.102 **और 116–चुनाव याचिका–अंतर्निहित शक्तियां–चुनाव याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता के राष्ट्रपति के रूप में काम करने पर अंतरिम रोक.चुनौती.रिलायंस को राम किशन मामले में डिवीजन बेंच के फैसले पर** रखी गई रिलायंस का **कि चुनाव याचिकाओं में प्रतिबंध आदेश पारित नहीं किए जा सकते हैं**.यह अभिनिर्धारित किया गया कि **प्रतिवादी की याचिका** को एस–116 **के तहत अंतर्निहित शक्तियों को इस तरह के आदेश पारित करने के लिए लागू किया जा सकता है,** आधारहीन **है.धारा उस स्थिति से संबंधित है जहां अपील लंबित है या मामले के लिए रिकॉर्ड बुलाया जाता है**.यह धारा यह चुनाव याचिका की धारा 102 (2) (c) मे अंतरिम आदेश परित करने की शक्ति

नही देता है तदानुसार प्रतिवादी नम्बर 1 को योग्यता के आधार पर मामले को आगे बढाने की स्वंतत्रता के साथ–साथ रद्द कर दी गई।

अभिनिर्धारित किया कि, इस प्रकार, धारा इस बात से संबंधित है कि अपील कहाँ लंबित है या जहाँ मामले के लिए अभिलेख बुलाया जाता है और अंतर्वर्ती आदेश पारित किए जा सकते हैं।यह अधिनियम की धारा 102 (2) (सी) के तहत चुनाव याचिका में अंतर्वर्ती आदेश पारित करने की शक्ति नहीं देता है और इसलिए, आदेश को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

(पैरा 6)

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि दिनांकित 05.12.2018 (अनुलग्नक पी-3) के विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार रद्द कर दिया जाता है।इस न्यायालय ने मामले के मुख्य मुद्दा पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है जो प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष विषय मुद्दा है, जिसे कानून के अनुसार मामले के मुख्य मुद्दा पर आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है।

(पैरा 7)

सी. आर. दहिया, अधिवक्ता

याचिकाकर्ता के लिए।

विभा तिवारी. ए. ए. जी, हरियाणा /उत्तरदाता संख्या 3 के लिए कोई नहीं।

अश्विनी वर्मा, प्रतिवादी नं.4.

G.S.SANDHAWALIA, **जे. मौखिक**

(1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर वर्तमान रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने दिनांकित 05.12.2018 (अनुलग्नक पी -3) प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा पारित।

(2) इसके अवलोकन से पता चलता है कि हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1894 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 102 के तहत एक चुनाव याचिका प्रत्यर्थी सं. 4 अर्थात् सुखविंदर सिंह इस आधार पर कि वर्तमान याचिकाकर्ता उस सोसायटी का बकायेदार था जिसके लिए उन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।नतीजतन, स्थगन आवेदन को प्रस्तुत किया गया, जिसे याचिकाकर्ता को दी हंसपुर प्राथमिक कृषि सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में काम करने से रोका गया, लेकिन उन्हें केवल सोसायटी के सदस्य के रूप में काम करने की अनुमति दी गई थी।

(3) प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा दायर उत्तर में आपत्ति ली गई है कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत शिकायत को दूर करने के लिए एक समान और प्रभावी उपाय है। आदेश को इस आधार पर उचित ठहराया गया है कि मामला अभी भी लंबित है।

(4) राम किशन बनाम राजिस्ट्रार, सहकारी समितियों हरियाणा व अन्य रिलायंस को डिवीजन बैंच पीठ के फैसले पर रखा गया है

कि चुनाव याचिकाओं में इस तरह के प्रतिबंध आदेश पारित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि यह मामले को पूर्वाग्रही बनाने और चुनाव याचिका को स्वीकार करने के बराबर होगा और विधिवत निर्वाचित निदेशक को संस्था की कार्यवाही में भाग लेने से रोक देगा और मतदाताओं के जनादेश को नकार देगा।

प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः.

"3.दलों के बीच इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि समितियों के सदस्यों के बीच चुनाव विवाद अधिनियम की धारा 102 की उप–धारा (2) के खंड (सी) के अंतर्गत आता है। इस तरह के विवाद को इस धारा की उप–धारा (4) के तहत पंजीयक को भेजा जाना आवश्यक है।अधिनियम की धारा 103 की उप–धारा (4) पंजीयक को पारित करने का अधिकार देती है ऐसा अंतर्वर्ती आदेश जो वह ऐसी कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान न्याय के हित में आवश्यक समझता है।याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री दलाल के इस तर्क में काफी बल है कि इस तरह के अंतर्वर्ती आदेशों में सोसायटी और सोसाइटी के सदस्यों के बीच केवल ऋण के भुगतान आदि के संबंध में विवाद शामिल किया जाता है, लेकिन यह बैंक की कार्यवाही में भाग लेने या पदाधिकारी के चुनाव में भाग लेने के लिए एक निर्वाचित निदेशक के मौलिक अधिकार को छीनने के बराबर नहीं होगा।इसके अलावा, पंजीयक को इस तरह के कठोर आदेश पारित करने के लिए एक उचित कारण बनाने का आदेश दिया गया था, लेकिन इतनी अजीब बात है कि उसने ऐसा नहीं किया था।विधिवत

निर्वाचित निदेशक को संस्था की कार्यवाही में भाग लेने से रोकने का कोई कानूनी औचित्य नहीं है क्योंकि यह मतदाताओं के जनादेश को नकारने के बराबर होगा।

4. इन कारणों से इस रिट याचिका को प्रस्ताव स्तर पर स्वीकार कर लिया जाता है और आक्षेपित आदेश, अनुलग्नक पी-2 को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।हालाँकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।" (5) प्रत्यर्थी नम्बर 1 का रुख कि यह धारा 116 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, बिना किसी आधार के है।धारा 116 इस प्रकार हैः.

"116. अंतर्वर्ती आदेश.जब धारा 114 के तहत कोई अपील की जाती है या जहां सरकार धारा 115 के तहत किसी मामले के रिकॉर्ड के लिए कहती है, तो अपीलीय प्राधिकरण या सरकार, जैसा भी मामला हो, न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए, अपील या संशोधन के निर्णय को लंबित रखते हुए, स्थगन के आदेश सहित ऐसे अंतर्वर्ती आदेश दे सकती है, जो ऐसा प्राधिकरण या सरकार उचित समझे।

(6) इस प्रकार, धारा इस बात से संबंधित है कि अपील कहाँ लंबित है या जहाँ मामले के लिए रिकॉर्ड बुलाया जाता है और अंतर्वर्ती आदेश पारित किए जा सकते हैं।यह अधिनियम की धारा 102 (2) (सी) के तहत चुनाव याचिका में अंतर्वर्ती आदेश पारित करने की शक्ति नहीं देता है और इसलिए, आदेश को किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

(7) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुएए इस न्यायालय की राय है कि दिनांकित 05.12.2018 (अनुलग्नक पी-3) के विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और तदनुसार रद्द कर दिया जाता है।इस न्यायालय ने मामले के मुख्य मुद्दे पर ऐसी टिप्पणी नहीं की है जो प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष विषय मुददा है।

जिसे कानून के अनुसार मामले के मुख्य मुद्दे पर आगे बढ़ने की स्वतंत्रता है।

(8) रिट याचिका को तदनुसार स्वीकार किया जाता है।

त्रिभुवन दहिया

अस्वीकरणः– स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उदेश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यो के लिए निर्णय का अग्रेंजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

राजकुमार